



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2018/पौष 28, 1939

No. 244]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2018/PAUSHA 28, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

(आयकर)

का.आ. 282(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), में दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 3129(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करती है:—

2. उक्त अधिसूचना में, खंड (ग) में—

(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“(i) राष्ट्रीय सपोर्टर्स अर्थात् हीरो मोटोकॉर्प लि०, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया लि०, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लि०, डालमिया सीमेंट भारत लि० एवं एनटीपीसी लिमिटेड से आने वाली प्राप्तियों से होनी वाली आय – उन्तालीस करोड़, उन्तालीस लाख, बावन हजार और दो सौ पचास रुपए (39,39,52,250 रु.)”।

(ख) उपखंड (ii) को 26 सितम्बर, 2017 से विलोपित कर दिया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 2/2018/फा. सं. 200/63/2017-आई.टी.ए.-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 26 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3129(अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।